



SITAPUR POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आत्महत्या हेतु उकसाने के मामले में वांछित
नामजद अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक:-17.08.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक कृत्यों में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती नेहा त्रिपाठी के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 189/2026 धारा 108 बीएनएस (पूर्व पंजीकृत मु0अ0सं0 189/26 धारा 87/137(2) बीएनएस) से संबंधित नामजद अभियुक्त **मोहम्मद इलियास पुत्र अफसर अली**, निवासी ग्राम शंकरपुर मजरा सहरोई कालिकाबक्स, थाना कोतवाली देहात, **सीतापुर** को गोरा अर्जुनपुर अंडरपास रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटना का विवरण व पुलिस कार्रवाई: दिनांक 14.08.2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शंकरपुर सहरोई की निवासी 16 वर्षीय बालिका (समरीन) का शव गांव के समीप कब्रिस्तान में पेड़ से लटका मिला था। पूर्व में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मामले में धारा 108 बीएनएस (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना) की बढ़ोतरी की गई।

पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई: पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने मृतका के साथ पूर्व में बातचीत एवं संबंध होने तथा बाद में दूरी बनाने की बात स्वीकार की है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

